## <u>न्यायालयः</u>— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

दांडिक प्रकरण क.—516/12 संस्थापित दिनांक— 17.11.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

## विरुद्ध

जितेन्द्र पुत्र धरमलाल लोधी, आयु 22 साल निवासी ग्राम भाडरी, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

## —: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 25.11.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा 304ए एवं 146/196, 3/181 मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह है आरोप है कि उसने दिनांक 11.12.2012 को शाम करीब 5:30 बजे थूबोन रोड पिपरोद बैरियल के पास मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सी.डी. डीलक्स यूपी 94 डी 4113 को बिना बीमा एवं डायबिग लायसेंस के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाते हुये कुमारी साधना को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि तेजिसह, रघुवीर सिंह एवं फरियादी की पत्नी शांतिबाई अपने खेत से घर आने के लिये बेरियर तरफ आ रहे थे, साधना उनके साथ में थी कि अचानक एक मोटरसाईकिल चालक मोटर साईकिल क0 यूपी 94 डी 4113 को तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और साधना में

टक्कर मार दी जिससे साधना की मौके पर ही मृत्यु हो गई, सब लोग साधना को लेकर सरकारी अस्पताल चंदेरी ले आये तो डॉक्टरो ने कहा कि साधना की तो मृत्यु हो चुकी है। घटना की सूचना फरियादी की पत्नी द्वारा फरियादी तोफान सिंह को दी थी। उक्त घटना के संबंध में मर्ग क0 77/12 धारा 174 कर जांच में लिया गया। अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल को जप्त किया गया, सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूटा फसाया गया है।
- 04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या तुमने दिनांक 11.12.12 शाम करीब 05.30 थूबोन रोड पिपरौद बैरियल के पास मोटर साइकिल हीरो हन्डा सी.डी. डीलक्स यू.पी. 94 डी 4113 को उपेक्षा उतवलेपन से चलाते हुये मृतक कुमारी साधना को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?
  - 2. तुमने घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटर साइकिल को बिना बीमा के चालन कर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146 के उपबंधों का उल्लंघन किया।
  - 3. आपने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त मोटर साइकिल को बिना लाइसेंस के चलन कर धारा 3 मोटर व्हीकल एक्ट के उपबंधों का उल्लंघन किया ?
  - 4. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

05— अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी तोफान सिंह (अ०सा० 1) सहित उसके भाई पप्पू (अ०सा० 2) व घटना के प्रत्यक्ष दर्शी के साक्षी के रूप में फरियादी के पिता तेजसिंह (अ०सा० 3) पत्नी शांतिबाई (अ०सा० 4) एवं रघुवीर (अ०सा० 5) के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादी तोफान सिंह (अ०सा० 1) का अपने

न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह घटना के समय मजदूरी करने जयपुर गया था तो उसके गांव से बड़े भाई कल्लू ने उसे फोन पर सूचना दी थी कि उसकी पुत्री साधना को मोटर साइकिल से एक्सीडेट हो गया है उसके बाद वह अपने भाई पप्पू के साथ चंदेरी आया था और घटना की रिपोर्ट चंदेरी थाने में लेखबद्ध कराई थी। घटना के समय फरियादी तोफान सिह (अ०सा० 1) अपने भाई पप्पू (अ०सा० 2) के साथ जयपुर में था तथा उनके सामने घटना घटित नहीं हुई एवं उन्हें कल्लू के द्वारा फोन पर साधन के एक्सीडेट होने की सूचना दी गई थी, इस संबंध में फरियादी तोफान सिंह (अ०सा० 1) के कथनों की पुष्टि स्वयं उसके भाई पप्पू (अ०सा० 2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में की है।

- 06— फरियादी तोफान सिंह (अ०सा० 1) व पप्पू (अ०सा० 2) के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि यह दोनों ही साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी न होकर स्वयं को घटना का अनुश्रुत साक्षी होना बता रहे है। जो कि इन साक्षियों के द्वारा भी पुलिस को दिये गये कथन प्र०पी० 4 व 5 से भी स्पष्ट होता है। तोफान सिंह (अ०सा० 1) व पप्पू (अ०सा० 2) घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है तथा यह दोनों ही साक्षी घटना के समय जयपुर में थे, जिन्हें फोन पर साधना के एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। तेजसिंह (अ०सा० 3), शांतिबाई (अ०सा० 4) जो कि फरियादी के माता पिता है तथा अभियोजन घटना के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी है, अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन का इस संबंध में कोई समर्थन नहीं करते है कि अभियुक्त ने एक्सीडेंट कारित कर साधना की मृत्यु कारित की।
- तेजसिंह (अ०सा० 3) व शांतिबाई (अ०सा० 4) दोनों ही साक्षियों का अपने कथनों में 07— इस बात की पुष्टि करते है कि वह लोग साधना के साथ खेत पर गये थे और शाम के समय जब वापस आ रहे थे तो 05.00 बजे किसी मोटर साइकिल वाले ने एक्सीडेंट कर दिया था जिससे साधना खतम हुई थी, परन्तु तेजसिंह (अ0सा0 3) ने अपने कथनों में ही यह व्यक्त किया है कि ऐक्सीडेंट किस गाडी से हुआ था वह नहीं जानता हैं तथा साक्षी ने इस बात का खण्डन किया है कि अभियुक्त ने मोटर साइकिल तेजी व लापहरी वाही से चलाकर एक्सीडेंट किया है। शांतिबाई (अ0सा0 4) ने भी अपने कथनों में यह कहती है कि वह नहीं जानती है कि ऐक्सीडेंट किस गाडी से हुआ तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट करने वाली गाडी को आरोपी चला रहा था और न ही उसे किसी ने यह बताया था कि मोटर साइकिल कौन चला रहा था। रघुवीर (अ०सा० 5) भी अपने कथनों में यह कहना है कि फरियादी तोफान (अ०सा० 1) की लडकी रोड पर मरी पडी थी परन्तु इस साक्षी ने भी इस बात का खण्डन किया है कि मोटर साइकिल कमांक यूपी0 94 डी 4113 के चालन ने तेजी व लापरवाही से चलाकर साधना को टक्कर मारी थी।

- 08— फरियादी तोफान (अ०सा० 1) साहित पप्पू (अ०सा० 2) जहां घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी नहीं है तथा घटना के समय वह स्वयं अपनी उपस्थिति जयपुर में होना बताते है। इन दोनों ही साक्षियों का अपने कथनों में कहीं यह कहना नहीं है कि उन्हें किसी ने बताया हो कि अभियुक्त ने मोटर साइकिल क्रमांक यूपी 94 डी 4113 को तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित की थी। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तेजिसंह (अ०सा० 3), शांतिबाई (अ०सा० 4) रघुवीर (अ०सा० 5) साधना की मृत्यु मोटर साइकिल से एक्सीडेंट होने से बताते है, परन्तु इनमें से किसी भी साक्षी का कहीं यह कहना नहीं है कि उक्त घटना अभियुक्त के द्वारा मोटर साइकिल क्रमांक यूपी० 94 डी 4113 को उपेक्षा व लापरवाही से चला कर कारित की गई।
- 09— अतः घटना दिनांक 11.11.2012 को शांम 05.30 बजे थूबोन रोड पिरौद बेरियल के पास मृत्क साधना की मृत्यु मोटर साइकिल के टक्कर मारने से हुई थी इस घटना की पुष्टि फरियादी सहित पप्पू (अ०सा० 2), तेजसिंह (अ०सा० 3) व शांतिबाई (अ०सा० 4) एवं रघुवीर (अ०सा० 5) ने अपने कथनों में की है परन्तु उक्त मोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 थी तथा उक्त मोटर साइकिल को अभियुक्त ने चलाकर साधना को टक्कर मारी इस संबंध में किसी भी साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने का कारण इस आशय की कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना मोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 को उपेक्षा व उताबलेपन से चलाकर साधना को टक्कर मारकर अभियुक्त के द्वारा कारित की गई।
- 10— डॉ वी०पी० गौतम (अ०सा० 6) एवं डॉ एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा० 7) के द्वारा मृतका साधना का शव परीक्षण किया गया था। डॉ० वी०पी० गौतम (अ०सा० 6) नें अपने परीक्षण में इस बात की पुष्टि की है कि मृतका साधना के शरीर पर परीक्षण के समय कुल 16 चोटे पाई थी, जिनमें से मृतका साधना के सिर के आंतरिक भागों में अधिक रक्त श्राव होने एवं दाहिने फिंटल बोन में अस्थी भंग होने तथा बाये पैराटल भाग में रक्त जमा होने एवं सिर के आंतरिक भागों में अधिक रक्त श्राव होने के कारण साधना की मृत्यु हुई थी जो कि दुर्घटना में हुई थी। डॉ० एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा० 7) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि साधना के सिर के आंतरिक भागों में अधिक रक्त श्राव होने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। डॉ० वी०पी० गौतम (अ०सा० 6) एवं डॉ० एस०पी० सिद्धार्थ (अ०सा० 7) के कथनों की पुष्टि परीक्षण के दौरान उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र0पी० 10 से होती है।

एक्सीडेंट में साधना की मृत्यु होने की पुष्टि की है तथा इस साक्षी के अनुसार उसने मर्ग जॉच में यह पाया था कि वाहन क्रमांकमोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 के चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर साधना को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की गई थी। यह उल्लेखनीय है कि बी०एन० मिश्रा (अ०सा० 10) के जॉच प्रतिवेदन प्र0पी0 14 के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तथा उक्त प्रतिवेदन अभियुक्त के विरूद्ध देने का मुख्य आधार प्र0पी0 14 के अनुसार तोफान (अ०सा० 1), पप्पू (अ०सा० 2) के लिये गये कथन है। यह उल्लेखनीय है स्वयं तोफान (अ०सा० 1) व पप्पू (अ०सा० 2) अभियोजन घटना के अनुसार घटना के समय जयपुर में थे तथा इन साक्षियों का स्वयं यह कहना है कि वह घटना के बाद अस्पताल पहुँचे थे। इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध कभी कोई कथन पुलिस को नहीं दिये। अतः यदि यह साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और नही पुलिस को मर्ग जॉच में अभियुक्त के विरूद्ध कथन दिये तो बी०एन० मिश्रा (अ०साँ० 10) के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिया गया प्रतिवेदन भी आधार हीन होने से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा अभियुक्त विरूद्ध कोई कथन न देकर अभियोजन कहानी का लैस मात्र भी समर्थन नहीं किया तथा विवेचक नरेन्द्र सिंह (अ०सा० 9) को अभियुक्त के विरूद्ध कथन देने से ही साक्षीगण इनकार करते है |

- 12— अतः फरियादी सहित साक्षियों के कथन चिकित्सीय साक्ष्य एवं मर्ग जॉच से यह तो प्रमाणित होता है कि साधना की मृत्यु रोड एक्सीडेंट में किसी वाहन से टक्कर मारने से हुई थी परन्तु उक्त वाहन मोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 था तथा उक्त मोटर साइकिल को अभियुक्त ने उपेक्षा व उतावलेपन के साथ चलाकर पिपरौद बैरियल के पास साधना को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की इस घटना को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी नरेन्द्र सिंह (अ०सा० 9) के द्वारा अभियुक्त से उपरोक्त मोटर साइकिल की जप्ति कर अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बी०एन० मिश्रा (अ०सा० 10) के द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिर्पोर्ट प्र०पी० 15 के आधार पर मात्र पर अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं होते है जबिक उपरोक्त दस्तोवेजों को एवं घटना को मौखिक साक्ष्य से साबित न कर दिया जाये। अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध घटना के संबंध में न तो प्रत्यक्ष, मौखिक साक्ष्य उपलब्ध है और न ही कोई परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर है।
- 13— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.12.2012 को शाम 05.30 बजे थूबोन रोड

पिपरौद बेरिलय के पास मोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 को उपेक्षा व उतावलेपन के साथ चलाकर मृतक साधना को टक्करमारकर ऐसी मृत्युकारित की जो आपरिधक मावनवध की श्रेणी में नहीं आती, और जहां उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त का लोग मार्ग पर मोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 को चलाया जाना ही प्रमाणित नहीं है वहां मात्र जिप्त के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर लोगमार्ग पर बिना डाइबिंग लाइसेंस एवं बीमा के धारित किये मोटर साइकिल यूपी 94 डी 4113 लोग मार्ग पर चलाया गया।

- 14— फलतः अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र धरमलाल लोधी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 304ए एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र धरमलाल लोधी को भा.द.वि की धारा 304ए एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196, 3/181 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचना के आधार पर दोष मुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र धरमलाल लोधी की उपस्थित संबंधि जमानत मुचलके निरस्त कर भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15— प्रकरण में जप्तशुदा संपति मोटर साइकिल क्रमांक यूपी० 94 डी 4113 पंजीकृत स्वमी की सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दनामा बाद मयाद अपील भार मुक्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)